संख्या-873 /नौ-8-18-01एस0(बजट) /2018

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ: दिनांक 31 मार्च, 2018

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में **"डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना"** के अन्तर्गत नगर निगम वाराणसी को पूर्व में सोलर पावर प्लान्ट के माध्यम से मार्ग प्रकाश एवं पेयजल की व्यवस्था किये जाने हेतु निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष चालू कार्यो हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत नगर निगम वाराणसी को सोलर पावर प्लान्ट के माध्यम से मार्ग प्रकाश एवं पेयजल की व्यवस्था किये जाने हेतु डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजनान्तर्गत नगर निगम वाराणसी द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना के आधार पर, सम्बन्धित कार्यो हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी थी, जिसके सापेक्ष सम्बन्धित नगर निगम द्वारा **"डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना"** के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोग करते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। अतः **"डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना"** में वित्तीय वर्ष 2016-17 में जारी किये गये विभिन्न शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नलिखित नगर निगम वाराणसी को उनके नाम के सम्मुख अंकित धनराशि चालू कार्यो हेतु अवमुक्त करते हुए कुल रूपये 299.19 लाख (रूपये दो करोड़ निन्यानवे लाख उन्नीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रमांक	निकाय/जनपद का नाम	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	पूर्व में निर्गत वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	5	6	7
1	नगर निगम वाराणसी जनपद वाराणसी	संख्या-149/2016/2955/नौ-8-16-02एस0 (बजट)/2016 दिनांक 28 अक्टूबर, 2016	499.19	200.00	299.19
		योग	499.19	200.00	299.19

(रूपये दो करोड़ निन्यानवे लाख उन्नीस हजार मात्र)

3. निदेशक नगरीय निकाय उत्तर प्रदेश द्वारा " डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना" के अन्तर्गत अवमुक्त की गयी धनराशि को योजनान्तर्गत निदेशालय स्तर पर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये नोडल खाते के माध्यम से निकाय के द्वारा "डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना " के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बचत खाते में धनराशि अन्तरित की जायेगी ।

4. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-191-नगर निगमों को सहायता-

06-डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

5. उपर्युक्त नागर निकाय को अवमुक्त की जा रही द्वितीय किश्त की धनराशि की उपयोगिता अवधि दिनांक 31.03.2018 तक के लिए निर्धारित है। अतः उक्त अवधि में द्वितीय किश्त की धनराशि का उपयोग कर निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

6. उपर्युक्त नागर निकायों द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यो का सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से सत्यापन कराकर एक माह के अन्दर सत्यापन आख्या शासन को उपलब्ध करायी जायेगी एवं प्रथम किश्त की धनराशि से कराये गये कार्यो का सत्यापन सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से कराये जाने के उपरान्त ही निकायों द्वारा द्वितीय किश्त की धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

7. सम्बन्धित नगर निगम को "डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना" के अन्तर्गत पूर्व में जारी की गयी वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित स्तम्भ 03 में उल्लिखित शासनादेशों की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

8. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

31/3/18

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

संख्या- 873 (1)/नौ-8-18 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
3. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
4. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. जिलाधिकारी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
6. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ ।
7. नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी उ0प्र0।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 एवं 9/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

31/3/18

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।